

वोटर लिस्ट से नाम छांटे भी जाएंगे

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे विधान सभा चुनाव के लिए तैयारियां जारी हैं। इसी क्रम में आगामी पहली नवम्बर से वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू होगा। इसमें पहली जनवरी 2022 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नये वोटरों को जोड़ने पर खास जोर रहेगा।

इसके अलावा वोटर लिस्ट में महिला-पुरुष अनुपात में और सुधार लाने के लिए अब तक वोटर लिस्ट

मतदाता सूची से इनके नाम हटाए जाएंगे

- शादी होने के बाद लड़की किसी दूसरी जिले, शहर या गांव चली गयी और मायके व ससुराल दोनों ही की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है।
- पढ़ाई के लिए दूसरे राज्य गये युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद उसी राज्य में या किसी अन्य राज्य में नौकरी करने लगे और पैतृक आवास वाले राज्य और नौकरी वाले

में शामिल नहीं हो पायीं महिलाओं के पंजीकरण के भी खास प्रयास होंगे।

- राज्य दोनों की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है। ● गांव छोड़ कर शहर आ बसें और गांव तथा शहर दोनों जगह की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है।
- नौकरी में स्थानांतरण हो गया, दूसरे जिले या राज्य में जाकर बस गये और गृह जनपद, गृह राज्य के अलावा जहां बसे वहां की भी वोटर लिस्ट में नाम शामिल है।

इसके साथ ही अपात्र वोटरों की छंटनी भी की जाएगी।